[2019] 1 एस.सी.आर. 88

डिजी केबल नेटवर्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

भारत संघ और अन्य।

(सिविल अपील संख्या 120/2019)

07 जनवरी, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्तिगण]

केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994:

धारा 11 सी [जैसा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2012 द्वारा सम्मिलित किया गया है] - धारा 11 सी के तहत दी गई प्रारंभिक अनुमति को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि "सुरक्षा मंजूरी" नहीं दी गई थी - रिट याचिका में रद्दीकरण को चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया - अपील पर, अवधारित किया: रद्दीकरण आदेश नियम 11 सी की आवश्यकताओं के अनुरूप था - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन नहीं किया गया था। अनुमति रद्द करने से पहले - राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में, एक पक्षकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सख्त पालन के लिए जोर नहीं दे सकती है।

अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने अवधारित किया:

1. रद्द करने का आक्षेपित आदेश केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 11 सी की आवश्यकताओं के अनुरूप पारित किया गया था और इसलिए इसे उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश में सही ठहराया गया था। नियम 11 ग (1) को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट है कि अनुमति प्रदान करना आवेदक को केन्द्र सरकार से सुरक्षा स्वीकृति जारी करने के अध्यधीन है। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि अपीलकर्ता सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहा। नियमों के नियम 11 सी के तहत प्रदान की गई यह एक अनिवार्य आवश्यकता थी। चूंकि अनुमति प्रदान करना संबंधित मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने के अध्यधीन था, इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुरक्षा मंजूरी के अभाव में सशर्त अनुमति रद्द करना न्यायोचित था। [पैरा 11, 13 और 14] [90-जी-एच; 91-सी-डी]

2. राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में, एक पक्षकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सख्ती से पालन के लिए जोर नहीं दे सकती है। वर्तमान मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया था, क्योंकि अपीलकर्ता अनुमति रद्द करने से पहले किसी भी पूर्व नोटिस का दावा करने का हकदार नहीं था। [पैरा 16, 18] [92-ई-एफ]

पूर्व सैनिक सुरक्षा सेवा प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य **(2014) 5 एससीसी 409 [2014] 3 एससीआर 359 -** पर भरोसा किया गया।

<u>विधि व्यवस्था उद्धरण</u>

[2014] 3 एससीआर 359 पैरा 16 पर आलंभ है।

सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्राधिकार: 2019 की सिविल अपील संख्या 120

2015 की रिट याचिका संख्या 58 में बॉम्बे में न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के दिनांक 30.10.2015 के फैसले और आदेश से।

2019 की सिविल अपील संख्या 121 के साथ।

जय सावला, सुश्री रेणुका साहू, प्रभात चौरसिया, जसदीप सिंह ढिल्लों, लक्ष्मेश एस. कामथ, शरत संपत, माणिक्य खन्ना, सुश्री कृति भल्ला, प्रत्याक्ष शर्मा, अपीलकर्ता के अधिवक्तागण।

सुश्री पिंकी आनंद, एएसजी, एके पांडा, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजेश रंजन, आरके वर्मा, सुश्री सौदामिनी शर्मा, सुश्री चरन्या एल कुमारन, चोकितन विक्रम शेखर पाप्टा, गुरमीत सिंह मक्कड़ के लिए चिन्मयी चंद्रा, उत्तरदाताओं के अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय **अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति** द्वारा पारित किया गया।

(2019 की सिविल अपील संख्या 120 (2015 के एसएलपी (सी) संख्या 33244 से उत्पन्न)।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील 2015 की रिट याचिका संख्या 58 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके तहत उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था।

3. इस अपील में शामिल विवाद एक संकीर्ण परिधि में निहित है जैसा कि नीचे दिए गए तथ्यों से स्पष्ट होगा।

4. दिनांक 12.06.2012 के पत्र (अनुलग्नक पी-2) द्वारा अपीलकर्ता को भारत सरकार द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2012 (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 11 सी के तहत डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) अधिसूचित क्षेत्रों में मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एम.एस.ओ.) के रूप में संचालन के लिए अनुमति दी गई थी।

5. हालांकि, इस अनुमति को भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.09.2014 के आदेश के तहत इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि गृह मंत्रालय ने अपीलकर्ता को "सुरक्षा मंजूरी" जारी करने से इनकार कर दिया है। दूसरे शब्दों में, चूंकि गृह मंत्रालय ने अपीलकर्ता को सुरक्षा

मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए 12.06.2012 के पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता को शुरू में दी गई अनुमति रद्द कर दी गई थी।

6. अनुमति देने के आदेश को रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने बॉम्बे उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष रिट याचिका दायर की। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और रद्द करने के आदेश को न्यायसंगत, कानूनी और उचित मानते हुए बरकरार रखा, जिसने असफल रिट याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर करने को जन्म दिया है।

7. इसलिए, इस अपील में शामिल संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की रिट याचिका को खारिज कर दिया था और परिणामस्वरूप, दिनांक 03.09.2014 के आदेश को बरकरार रखने के लिए उचित था, जो अपीलकर्ता को दिनांक 12.06.2012 के पत्र द्वारा दी गई अनुमति को रद्द कर दिया गया था।

8. अपीलकर्ता के वकील श्री जय सावला और प्रतिवादियों के लिए ए.एस.जी. सुश्री पिंकी आनंद को सुना।

9. यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत संघ-उत्तरदाता की ओर से पेश हुईं सुश्री पिंकी आनंद ने कारणों की प्रति एक सीलबंद कवर में दायर की, जिसे अपीलकर्ता को सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार करने के लिए आधार बनाया गया था और जिसके कारण अपीलकर्ता को दी गई अनुमति रद्द / वापस ले ली गई थी। दाखिल किए गए दस्तावेज को अवलोकन के लिए अभिलेख पर लिया जाता है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और मामले के अभिलेख के अवलोकन के बाद, हमें इस अपील में कोई बल नहीं मिला।

11. हमारी सुविचारित राय में, रद्द करने का आक्षेपित आदेश नियमों के नियम 11 सी की आवश्यकताओं के अनुरूप पारित किया गया था और इसलिए इसे उच्च न्यायालय द्वारा लागू आदेश में सही ठहराया गया था।

12. नियम 11ग को दिनांक 28.04.2012 से नियमों में शामिल किया गया। नियम 11 सी (1) निम्नानुसार है:

"11 सी (1) मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण - (1) संतुष्ट होने पर कि आवेदक नियम 11 बी के तहत निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों और नियम 11 ए की आवश्यकताओं को पूरा करता है, पंजीकरण प्राधिकारी, नियम 11 डी में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों और केंद्र सरकार से सुरक्षा मंजूरी के अधीन, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।"

13. नियम 11 सी (1) को पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट है कि अनुमति प्रदान करना आवेदक (इस मामले में अपीलकर्ता) को केंद्र सरकार से सुरक्षा मंजूरी जारी करने के अधीन है।

14. इस मामले में, माना जाता है कि अपीलकर्ता नियमों के नियम 11 सी के तहत प्रदान की गई सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहा। नियमों के नियम 11 सी के तहत प्रदान की गई यह एक अनिवार्य आवश्यकता थी। चूंकि अनुमति प्रदान करना संबंधित मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति प्राप्त करने के अधीन था, इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुरक्षा मंजूरी के अभाव में सशर्त अनुमति रद्द करना न्यायोचित था।

15. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को अनुमति रद्द करने से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था और इसलिए, लागू रद्दीकरण आदेश को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना पारित किया गया है। हमें इस दलील में कोई बल नजर नहीं आता।

16. कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने इस निवेदन को खारिज करते हुए **पूर्व सैनिक सुरक्षा सेवा प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (2014) 5 एससीसी 409** के मामले में पैरा 16 और 17 में कानून के निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए, जो निम्नानुसार हैं:

> **"16. जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, वह विधि का प्रश्न नहीं है, यह नीति का मामला है। यह न्यायालय को तय नहीं करना है कि क्या राज्य के हित में है या क्या नहीं। इसे कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए। लॉर्ड हॉफमैन को उद्धृत गृह राज्य सचिव बनाम रहमान (एसी पी 192 सी)**
>
> **",.. [राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में] विधि का प्रश्न नहीं है। यह निर्णय और नीति का मामला है। यूनाइटेड किंगडम और अधिकांश अन्य देशों के संविधान के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में क्या है क्या नहीं, यह निर्णय न्यायिक निर्णय का विषय नहीं है। उन्हें कार्यपालिका को सौंपा गया है।**
>
> **17. इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में, एक पक्षकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के सख्त पालन के लिए बल नहीं दे सकता है। ऐसे मामलों में, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह वैधानिक बहिष्करण को पढ़े और प्रदान करे, यदि क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियमों में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है। विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर, हालांकि यह न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह खुद को संतुष्ट करे कि क्या उचित तथ्य थे, और उस संबंध में, न्यायालय पत्रावलियों को मंगाने और यह देखने का अधिकार रखता है कि क्या यह एक ऐसा मामला है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का हित शामिल है। एक बार जब राज्य का रुख यह हो जाता है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, तो न्यायालय प्रभावित पक्षकार को कारणों का खुलासा नहीं करेगी।"**

17. भारत संघ द्वारा दायर नोट का अवलोकन करने के बाद, जिसके परिणामस्वरूप अनुमति रद्द कर दी गई, हमारी सुविचारित राय है कि इस मामले के तथ्यों में, अपीलकर्ता रद्दीकरण आदेश पारित करने से पहले किसी भी पूर्व नोटिस का दावा करने का हकदार नहीं था।

18. दूसरे शब्दों में, हमारा विचार है कि इस मामले में इस न्यायालय द्वारा **पूर्व सैनिक संरक्षण सेवा प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा)** के मामले में निर्धारित कानून के आलोक में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया गया था क्योंकि अपीलकर्ता अनुमति रद्द करने से पहले किसी भी पूर्व नोटिस का दावा करने का हकदार नहीं था।

19. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील को किसी भी योग्यता से रहित पाया जाता है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

20. हालांकि, अपीलकर्ता विधि के अनुसार नई अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

<u>सिविल अपील संख्या 121/2019</u>

(2015 के एसएलपी (सी) संख्या 33411 से उत्पन्न)

2019 के सिविल अपील संख्या 120 @ एसएलपी (सी) संख्या 33244 2015 में पारित विस्तृत आदेश के आलोक में, यह अपील भी खारिज की जाती है।

2. हालांकि, अपीलकर्ता कानून के अनुसार नई अनुमति देने के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

कल्पना के. त्रिपाठी। अपील खारिज।

Digitally signed by DEVASHISH
Date: 2023.10.26 16:57:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court